हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
22-11-21 पत्रावली पेश हुई वकील प्रार्थी पेशकार सरकार उपस्थित जवाब सरकार पेश किया गया बहस उभयपक्ष सुनी गई। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है, विस्तृत निर्णय पृथक से लिखवाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।	

(हस्ताक्षर)
उपखण्ड अधिकारी
लाखेरी (बून्दी)

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2021.06.10 14:56:38 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लाखेरी, जिला बून्दी (राज0)

वाद सं0 08/प्रा0पत्र/2020
दायरा दिनाकं 16.03.2020

पीठासीन अधिकारी
श्री प्रमोद कुमार(R.A.S.)

राजेन्द्र सिंह आयु 64 वर्ष पुत्र श्री भंवर सिंह जाति राव राजपूत मुतवन्ना श्री गोप सिंह जाति राव राजपूत निवासी बड़ाखेडा तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी राजस्थान हाल निवासी म0 न0 658 बालाजी नगर कोटा तहसील लाडपुरा जिला कोटा राजस्थान।

––प्रार्थी––

बनाम

1 छीतर लाल आयु 67 वर्ष पुत्र श्री ग्यारसी लाल जाति बैरवा निवासी बडाखेड़ा तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी राजस्थान।
2 प्रभू लाल आयु 62 वर्ष पुत्र श्री ग्यारसी लाल जाति बैरवा निवासी बडाखेड़ा तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी राजस्थान।
3 राधाकिशन आयु 75 वर्ष पुत्र श्री उद्धा जाति कीर निवासी ग्राम बडाखेडा तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी (राज0)
4 रामचन्द्र आयु 70 वर्ष पुत्र श्री उद्धा जाति कीर निवासी ग्राम बडाखेडा तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी (राज0)
5 नाथू लाल आयु 50 वर्ष पुत्र श्री मन्ना जाति कीर निवासी ग्राम बडाखेडा तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी (राज0)
6 चन्द्रशेखर आयु 40 वर्ष पुत्र श्री ग्यारसी लाल जाति गुर्जर निवासी ग्राम बडाखेडा तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी (राज0) हाल निवासी सुभाष नगर बोम्बे योजना कोटा तहसील लाड़पुरा जिला कोटा राज0 .
7 रमेश आयु 50 पुत्र श्री ग्यारसी लाल जाति गुर्जर निवासी ग्राम बडाखेडा तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी (राज0) हाल निवासी देवपुरा बून्दी तहसील बून्दी जिला बून्दी राज0
8 राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार इन्द्रगढ़ जिला राज0
9 ग्राम पंचायत बडाखेडा जर्ये सरपंच ग्राम पंचायत बडाखेडा तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी राज0
10 सचिव ग्राम पंचायत बडाखेडा तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी राज0

––अप्रार्थीगण––

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2021.06.10 14:56:38 IST
Reason: SelfAttested

(signature)
उपखण्ड अधिकारी
लाखेरी (बून्दी)

Scanned by CamScanner

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

निर्णय

दिनांक 22.04.2021

प्रार्थी ने अन्तर्गत धारा 111,128 में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करं कथन किया कि प्रार्थी के खाते व कब्जे काश्त कृषि भूमि खाता संख्या 498 की कृषि भूमि खसरा नं0 460 रकबा 0.78 हैक्टेयर, खसरा नं0 462 रकबा 0.79 हैक्टेयर, व खाता संख्या 501 की कृषि भूमि खसरा नं0 461 रकबा 1.25 हैक्टेयर ग्राम बडाखेडा तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी राजस्थान में स्थित है।

खसरा नं0 460 रकबा 0.78 हैक्टेयर कृषि भूमि के पश्चिम की ओर ग्राम बडाखेडा से करिरिया की ओर जाने वाला आम रास्ता है जिसके खसरा नं0 729 व 859 है। उक्त गडार के पश्चिम की ओर खसरा नं0 458 की भूमि है, जो अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के खाते की है। खसरा नं0 460 के दक्षिण की ओर खसरा नं0 462 की भूमि है जो प्रार्थी के खाते व कब्जे काश्त की है। खसरा न0 462 के दक्षिण की ओर ग्राम बडाखेडा से बसवाडा को जोडने वाला आम रास्ता है। उक्त आम रास्ता के खसरा नं0 469 है। प्रार्थी के खाते व कब्जे काश्त की कृषि भूमि खसरा नं0 462 के दक्षिण में स्थित आम गडार के दक्षिण की ओर खसरा नं0 705 की कृषि भूमि है जो कि सिवायचक है। उक्त सिवायचक कृषि भूमि खसरा नं0 705 रकबा 0.53 हैक्टेयर पर अप्रार्थी संख्या 3, 4 व 5 ने अतिक्रमण कर रखा है जिसके दक्षिण में आम रास्ता है जो बडाखेडा से बसवाडा को जोडने वाला आम रास्ता है। खसरा नं0 463, 464 की भूमि सिवायचक है। उक्त सिवायचक भूमि के दक्षिण की ओर खसरा नं0 672 की भूमि है जो कि अप्रार्थी संख्या 7 रमेश व अप्रार्थी संख्या 6 चन्द्रशेखर के खाते व कब्जे काश्त की है तथा गडार से उतर की ओर स्थित खसरा नं0 463, 464 पर भी अप्रार्थी संख्या 6 व 7 ने अतिक्रमण करके कब्जा कर रखा है।

प्रार्थी के खाते व कब्जे काश्त की भूमि खसरा नं0 460 के पश्चिम स्थित गडार को अप्रार्थी संख्या 1 छीतर व 2 प्रभु लाल ने अतिक्रमण कर दबा दिया है व प्रार्थी की कृषि भूमि की ओर अतिक्रमण करने पर ... है जिससे रास्ते की भूमि सिकुड गई है। प्रार्थी के खाते व कब्जे काश्त की कृषि भूमि खसरा नं0 462 के दक्षिण की ओर स्थित गडार पर अप्रार्थीगण संख्या ... धाकिशन, अप्रार्थी संख्या 4 रामचन्द्र व अप्रार्थी संख्या 5 नाथू लाल ने गडार को अपने खेत खसरा नं0 705 में मिलाकर मेरे खाते व कब्जे काश्त की कृषि भूमि 462 में अतिक्रमण करके कुछ भाग

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2021.06.10 14:56:38 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
लाखेरी (बून्दी)

Scanned by CamScanner

पर घुस आये है। प्रार्थी के खातेदारी कृषि भूमि खसरा नं0 461 रकबा 1.25 हैक्टेयर पर अप्रार्थी संख्या 6 व 7 अतिक्रमण करने अमादा है। अप्रार्थीगण पडौसी काश्तकार प्रार्थी के खसरा नम्बरान की कृषि भूमि पर अतिक्रमण करके सीमाओं को मिटाना चाहते है। इस बाबत प्रार्थी द्वारा दिनांक 16.06.2016 को खातेदारी कृषि भूमि खसरा नं0 460, 461, 462 का सीमाज्ञान करायां जाकर अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 7 प्रार्थी के कब्जे काश्त की भूमियों को दबाने पर अमादा है। और अन्त में प्रार्थना की गई कि प्रार्थी की खातेदारी कृषि भूमियों का सीमांकन करवाया जाकर पत्थरगढी के आदेश फरमाये जावें।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जर्ये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण वाबजूद तामील नोटिस हाजिर न्यायालय नही होने से उनके विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गई एवं जवाब सरकार दिया गया। जवाब सरकार के अनुसार प्रार्थी अपनी खातेदारी कब्जे काश्त की कृषि भूमि खसरा नं0 460, 463, 461, वाके ग्राम बडाखेडा सीमांकन चिन्हित करवाये जाते है, तो इसी पक्षकार के हक अधिकार पर कोई विपरीत प्रभाव नही पड़ता है।

प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन में नकल जमाबन्दी खाता संख्या 501 सम्वत् 2071–2074, खाता संख्या 498 सम्वत् 2071–2074 व नक्शा ट्रेस पेश किए गए।

प्रार्थी के अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस सुनी गई प्रार्थी के अधिवक्ता ने वाद वर्णित आराजी खसरा नं0 460, 461, 462, वाके ग्राम बडाखेडा का सीमाज्ञान कराया जाकर सीमाओ का निर्धारण करते हुए सीमाचिन्ह अंकित करवाने का निवेदन किया गया।

हमारे द्वारा प्रार्थी के अधिवक्ता की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध फर्द सीमाज्ञान दिनांक 16.06.2016 से स्पष्ट है कि प्रार्थी द्वारा पूर्व मे भी सीमाज्ञान कराया गया था। अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र का कोई खण्डनात्मक जवाब प्रार्थना पत्र पेश नही किए जाने से प्रतीत होता है कि अप्रार्थीगण आदतन अतिकमी है एवं प्रार्थी की कृषि भूमि से लगवा खातेदारी कृषि भूमि एवं सिवायचक भूमि होने से सीमाओं को दबाकर अतिक्रमण करने की आंशका को देखते हुए प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2021.06.10 14:56:38 IST
Reason: SelfAttested

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार इन्द्रगढ़ को निर्देश दिए जाते है कि प्रार्थी की खातेदारी कृषि भूमि खसरा नं0 खसरा नं0 460

उपखण्ड अधिकारी
लाखेरी (बून्दी)

Scanned by CamScanner

रकबा 0.78 हैक्टेयर, खसरा नं0 462 रकबा 0.79 हैक्टेयर, व खाता संख्या 501 की कृषि भूमि खसरा नं0 461 रकबा 1.25 हैक्टेयर ग्राम बडाखेडा तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी में स्थित कृषि भूमि का सीमाज्ञान का नियमानुसार शुल्क राजकोष में जमा कराया जाकर मौके एवं नक्शे में तरमीम अनुसार रकबे का सीमाज्ञान कराया जाकर सीमाओ का निर्धारण करते हुए सीमाचिन्ह अंकित करवाकर पत्थरगढी करवायी जावें। साथ ही खसरा नं0 729 व 859 आम रास्ता बडाखेडा से करिरिया की ओर जाने वाला आम रास्ता, एवं खसरा नं0 469 बडाखेडा से बसवाडा को जोडने वाला आम रास्ता, का सीमांकन ग्राम पंचायत बडाखेडा के साथ किया जाकर रास्ते का अतिक्रमण मुक्त कराया जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफतर हो।

निर्णय लिखवाया जाकर आज दिनांक 22.04.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
लाखेरी (बून्दी)

उपखण्ड अधिकारी
लाखेरी (बून्दी)

Signature Not Verified

Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2021.06.10 14:56:38 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner